# न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : राहुल श्रीवास्तव (आई0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 496 / 2024

अनवान : –

1. मांगेराम पुत्र ठाकरसिंह उर्फ कालुराम जाति मेघवाल निवासी मेघाना तहसील नोहर।

–**वादी**

**बनाम्**

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) नोहर।
2. लालचन्द पुत्र ठाकरसिंह उर्फ कालुराम जाति मेघवाल निवासी मेघाना तहसील नोहर।
3. अमरसिह पुत्र ठाकरसिंह उर्फ कालुराम जाति मेघवाल निवासी मेघाना तहसील नोहर।

– **प्रतिवादी**

**दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88**
**राजस्थान काश्त0 अधि0 1955**

उपस्थिति :– श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अधिवक्ता **वादी**
पेरोकार राज

## निर्णय

दिनांकः 15/01/26

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया की रोही मौजा मेघाना तहसील नोहर के खाता स0 250/257 के ख0न0 396 की कुल 7.7140 हैक्ट भूमि में वादी व प्रतिवादीगण संख्या 2 ता 3 प्रत्येक के नाम 1/14 हिस्सा भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

उक्त वाद भूमि में वादी व प्रतिवादीगण के पिता का नाम ठाकरसिंह दर्ज है जबकि वादी व प्रतिवादीगण के पिता का नाम कालुराम है जो की पक्षकारान के आधार कार्ड में दर्ज है। राजस्व रिकार्ड में वादी व प्रतिवादीगण के पिता का नाम सही दर्ज नही होने के कारण वादी व प्रतिवादीगण के खातेदारी हकों का हनन हो रहा है इसलिए वादी व प्रतिवादीगण अपने पिता का नाम ठाकरसिंह के स्थान पर ठाकरसिंह उर्फ कालुराम दर्ज करवाना चाहते है। यही बिनाय दावा है।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिये सम्मन तलब किया गया। वादीया ने वाद के समर्थन में नवीनतम जमाबंदीया पेश की। तहसीलदार द्वारा जवाब पेश किया गया जो की शामिल मिसल किया गया।

बहस वकील वादी सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने कथन किया कि उक्त वाद भूमि में वादी व प्रतिवादीगण के पिता का नाम ठाकरसिंह दर्ज है जबकि वादी व प्रतिवादीगण के पिता का नाम कालुराम है जो की पक्षकारान के आधार कार्ड में दर्ज है। राजस्व रिकार्ड में वादी व प्रतिवादीगण के पिता का नाम सही दर्ज नही होने के कारण वादी व प्रतिवादीगण के खातेदारी हकों का हनन हो रहा है इसलिए वादी व प्रतिवादीगण अपने पिता का नाम ठाकरसिंह के स्थान पर ठाकरसिंह उर्फ कालुराम दर्ज करवाना चाहते है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2026.01.29 10:54:41 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

हमारे द्वारा अभिभाषक की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। वाद में प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा मेघाना तहसील नोहर के खाता स0 250/257 के ख0न0 396 की कुल 7.7140 हैक्ट भूमि में वादी व प्रतिवादीगण संख्या 2 ता 3 प्रत्येक के नाम 1/14 हिस्सा भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है। उक्त वाद भूमि में वादी ने अपने व प्रतिवादी स0 2 ता 3 के पिता का नाम ठाकरसिह के स्थाान पर ठाकरसिंह उर्फ कालुराम दर्ज करवाने हेतु यह वाद पेश किया गया है। वादी के दस्तावेजों यथा आधार कार्ड मे पिता का नाम कालुराम दर्ज वादी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबूतों के आधार पर वाद वादी स्वीकार योग्य है।

अतः वादी द्वारा साक्ष्य सबूतों के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष स्वीकार किया जाता है कि रोही मौजा मेघाना तहसील नोहर के खाता स0 250/257 के ख0न0 396 की कुल 7.7140 हैक्ट भूमि में वादी व प्रतिवादीगण संख्या 2 ता 3 प्रत्येक के नाम 1/14 हिस्सा भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है में वादी व प्रतिवादीगण संख्या 2 ता 3 के पिता का नाम ठाकरसिंह के स्थान पर ठाकरसिंह उर्फ कालुसिंह के अंकन की घोषणा की जाती है। अगर नाम संशोधन को लेकर कोई तथ्य छुपाया गया हो और निकट भविष्ट में प्रकट होता है तो वादीया स्वयं जिम्मेदार होगी। किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश अथवा वाद विवाद न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक ....15/01/26.......... को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया पत्रावली फैसला शुमार होकर नम्बर से कम की जाकरा दाखिल दफ्तर हों ।

Rahul

(राहुल श्रीवास्तव I.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2026.01.29 10:54:41 IST
Reason: SelfAttested

# पर्चा डिक्री

## न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : राहुल श्रीवास्तव (आई0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 496/2024

अनवान : –

1. मांगेराम पुत्र ठाकरसिंह उर्फ कालुराम जाति मेघवाल निवासी मेघाना तहसील नोहर।

–वादी

**बनाम्**

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) नोहर।
2. लालचन्द पुत्र ठाकरसिंह उर्फ कालुराम जाति मेघवाल निवासी मेघाना तहसील नोहर।
3. अमरसिह पुत्र ठाकरसिंह उर्फ कालुराम जाति मेघवाल निवासी मेघाना तहसील नोहर।

– **प्रतिवादी**

**वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955**
**राजस्व वाद संख्या 496 सन 2024 निर्णय दिनांक** 15/01/26

आज यह वाद मुझ राहुल श्रीवास्तव उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष उभयपक्ष की उपस्थिति में निर्णयार्थ/अंतिम निपटारे हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है कि रोही मौजा मेघाना तहसील नोहर के खाता स0 250/257 के ख0न0 396 की कुल 7.7140 हैक्ट भूमि में वादी व प्रतिवादीगण संख्या 2 ता 3 प्रत्येक के नाम 1/14 हिस्सा भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है में वादी व प्रतिवादीगण संख्या 2 ता 3 के पिता का नाम ठाकरसिंह के स्थान पर ठाकरसिंह उर्फ कालुराम के अंकन की घोषणा की जाती है। अगर नाम संशोधन को लेकर कोई तथ्य छुपाया गया हो और निकट भविष्ट में प्रकट होता है तो वादीया स्वयं जिम्मेदार होगी। किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश अथवा वाद विवाद न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 15/01/26 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी कि गई।

Rahul.
(राहुल श्रीवास्तव I.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2026.01.29 10:54:41 IST
Reason: SelfAttested